II/निग./सतना/2018/पं.क्र./1655 (302)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

रमाशंकर उम्र 60 वर्ष तनय श्री बैजनाथ ब्रा0 निवासी ग्राम वीरदत्त तहसील अमरपाटन जिला सतना (म0प्र0)

--------आवेदक

बिरुद्ध

1. चन्द्रमणि तनय गिरिजा प्रसाद निवासी ग्राम वीरदत्त तहसील अमरपाटन जिला सतना (म0प्र0)

2. म0प्र0 शासन

----अनावेदकगण

अधि0 श्री मुनेन्द्र मिश्रा द्वारा पेश/09-3-18

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959ई0 बिरुद्ध सीमांकन कार्यवाही व आदेश प्रभारी राजस्व निरीक्षक मंण्डल अमरपाटन तहसील अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 दिनांक 13.02.17 जो प्रकरण कमांक 66/अ-12/2016-17 मे पारित।

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत हैः-

1. सीमांकन संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही व आदेश प्रमाणीकरण सर्वथा विधि विधान एवं म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 129 के विधान के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2. सीमांकन हेतु आवेदन भूमि नं-630/3 रकवा 0.048 है. के संबंध मे अनावेदक कमांक-1 ने प्रस्तुत किया जो कि निगरानीकर्ता भूमि नं-631/2 का स्वामी है, सीमांकन के समय आपत्ति भी पेश किया गया जो कि आपत्तिकर्ता ने यह भी आपत्ति उठाया था स्थाई सीमा चिन्ह के आधार पर सीमा निर्धारित की जाए लेकिन स्थाई सीमा चिन्हों का पालन करके

(302)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक.II-निग0 / 2018 / 1655 / भू–रा0 जिला सतना

रमाशंकर ब्रा0 / चन्द्रमणि प्रसाद

(1)	(2)	(3)
18-12-18-	1. आवेदक की ओर से श्री शिव प्रसाद द्विवेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल अमरपाटन, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 66 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 13.01.19 को कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

2114/